

## नीलामी सूचना वर्ष 2025-2026

### वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा, प्रतापगढ़ परिसर के फोटो स्टेट की दूकान की नीलामी, स्थान वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा स्थित परिसर, प्रतापगढ़ में दिनांक 19.04.2025 को समय 04.30 बजे अपराह्न होगी। समस्त इच्छुक लोग जो नीलामी में बोली बोलना चाहते हों, वह निश्चित तिथि व समय पर उपस्थित होकर नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

#### शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. नीलामी में बोली हेतु फोटो स्टेट दूकान के सन्दर्भ में बोली की न्यूनतम धनराशि मु0 47,500.00 रुपये नियत की गई है। बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5000/- रुपये सिक्योरिटी के रूप में बोली बोले जाने से पूर्व जमा करना होगा। जिस व्यक्ति का सिक्योरिटी धनराशि जमा होगी, वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकता है।
2. जिस व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक धनराशि की बोली बोली जायेगी, उसे कुल धनराशि की 1/3 भाग अग्रिम के रूप में तुरन्त जमा करना होगा।
3. नीलामी की समस्त धनराशि नीलामी होने के पश्चात् प्रतिष्ठान/दूकान प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करना होगा।
4. अन्तिम किस्त अग्रिम के रूप में ली गई धनराशि जो शुरु में जमा करायी जायेगी, समाहित कर ली जायेगी।
5. जिस व्यक्ति को दूकान नहीं मिल पायेगी, उन्हें उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
6. फोटो स्टेट की दूकान के भौतिक स्वरूप को बिना किसी पूर्व अनुमति के परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
7. फोटो स्टेट की दूकान में लगे विद्युत संयोजन व उसके बिल का खर्चा ठेका लेने वाले के द्वारा देय होगा।
8. फोटो स्टेट दूकान में किसी भी अखाद्य पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान एवं मसाला इत्यादि का विक्रय नहीं किया जायेगा।
9. फोटो स्टेट की दूकान चलाने के फलस्वरूप न्यायालय परिसर में फैली गंदगी की सफाई समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
10. फोटो स्टेट की दूकान चलाने के समय यदि उसमें कार्यरत स्टाफ के साथ कोई दुर्घटना कारित होती है, तो संचालक उसका स्वयं उत्तरदायी होगा तथा न्यायिक संस्थान की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. यदि फोटो स्टेट की दूकान के संचालन के कार्यों से उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी भरपाई संचालक द्वारा न्यायालय प्रतिष्ठान को की जायेगी।
12. फोटो स्टेट की दूकान चलाने की संविदा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर ठेका रद्द किया जा सकता है।
13. ठेका 31 मार्च 2026 तक प्रवर्तनीय रहेगा, जो दिनांक 01.04.2025 से प्रारम्भ होगा।
14. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेका धारक द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर ठेका निरस्त करके या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसकी सम्पत्ति से कर देंगे।
15. नीलामी के शर्त एवं प्रतिबन्ध माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हो।

ह0  
सदस्य  
**सुनीता सिंह नागौर**  
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0-।  
प्रतापगढ़।

ह0  
सदस्य  
**अजय कुमार-।**  
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0  
प्रतापगढ़

ह0  
अध्यक्ष, नीलामी कमेटी  
**बाबूराम**  
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)  
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि जिला न्यायालय प्रतापगढ़ की वेब साइट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तहसील प्रांगण, दीवानी न्यायालय के मेन गेट पर, बाजार में, नजारत कुण्डा एवं नजारत प्रतापगढ़, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय में सूचनार्थ चस्पा की जाए तथा निःशुल्क प्रकाशन हेतु अखबार को भेजी जाए।